# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 53 / 2016 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2016/ 00079)**

1. कुमरसिंह
2. लालसिंह
3. रन्धीर

पिसरान बदनसिंह जाति गुर्जर निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

..... **रैस्पोडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 14.9.2015

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

## निर्णय

**दिनांकः– 25.7.2022**

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 1313 रकबा 2 बीघा ग्राम नौगाया का आवंटन दिनांक 18.11.77 को अपीलान्ट के पिता को हुआ था। पिता तभी से ताउम्र काबिज काश्त रहे। उनके बाद प्रार्थी रकबा 2 बीघा पर काबिज काश्त है। हाल

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सेटलमेन्ट में इसका नवीन खसरा नम्बर 1801/0.10 है0 बनाया है जो गत रकबा से 0.22 है0 कम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नम्बर 1801 का रकबा 0.32 है0 दर्ज रिकार्ड किये जाने की प्रार्थना की गई। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होने एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के करण अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 पारित करते हुये प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2010 का कतई अवलोकन नहीं किया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अपीलान्ट के साविक खसरा नम्बर 1313 रकबा 2 बीघा ग्राम नौगाया से हाल खसरा नम्बर 1801 ,1809 निर्मित हुये है तथा खसरा नं0 1809 से कमी पूर्ति हो सकती है परन्तु खसरा नम्बर 1809 गलत रूप से दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 1809 पर अपीलान्ट का कब्जा है। तहत न्यायालय ने बिना इस इस रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही तकनीकी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो रिकार्ड एवं मौके नियमों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मात्र कयासों के आधार पर ही खारिज किया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश में कही भी रिपोर्ट पटवारी को कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। जबकि अपीलधीन आदेश में रिपोर्ट पटवारी का उल्लेख किया जाना चाहिए था। इसलिए अपीलाधीन आदेश रिकार्ड के भी विपरीत है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में समस्त बातों को स्पष्ट रूप से लिखा है। तहत न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्ट काप्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट खारिज कर दिया है जो काबिले मंसूखी है।

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 14.9.2015 निरस्त किया जावे तथा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल अर एक्ट स्वीकार किया जाकर अभिलेख में संशोधन किया जावे।

सरकारी पैरोकार ने बहस करते हुए तर्क दिया कि तहत अदालत उप जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.4.2012 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है अतः मियाद संबंधी बिन्दु पर उक्त अपील खारिज की जावे। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 1801 व 1809 का कोई नक्शा पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त खसरा नम्बर अपीलान्ट की खाते की जमीन से लगता हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई है जिसकी दुरूस्ती की जानी थी। मियाद के संबंध में अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है जिसका रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व मनन करने व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध दिनांक 29.07.2016 को अपील पेश की गई है। इसके साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.07.2016 को वकील से सम्पर्क करने पर होने व जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया है। इसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जबाब ही पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में जानकारी प्राप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कारण नहीं रह जाता है। इसके अलावा भी मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Limitation Act,1963 Section 5& While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skillful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसके पिता को दिनांक 18.11.77 को ग्राम नौगाया के खसरा नं0 1313 में आवंटित 2 बीघा भूमि के बदले खसरा नं0 1801 रकबा 10 ऐयर को ही भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पत्तेदारी में दर्ज किया गया है तथा 22 एयर रकवा कम कर दिया। अतः 22 एयर रकवे की कमी पूर्ति की जावे। इस प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, गिरदावरी, आवंटन पत्र, मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किया गया । अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से दिनांक 05.05.2010 को जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अपीलान्ट/प्रार्थी के पिता को दिनांक 18.10.77 को 2 बीघा भूमि खसरा नं0 1313 मिन में आवंटित भूमि व हाल खसरा नं0 1801 व 1809 रकवा 0.10 व 0.20 है0 बनने तथा प्रार्थी का आवंटन के वक्त से ही कब्जा होने व रिपोर्ट दिनांक 05.05.2010 को भी कब्जा होने तथा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने का उल्लेख करते हुए खसरा नं0 1809 रकवा 0.20 एयर में से कमीपूर्ति किये जा सकने की टिप्पणी की है। इसको तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत को अग्रेषित किया गया है। अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.15 में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का कोई विवेचन नहीं कर इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि प्रार्थी मृतक बदन सिंह का वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया तथा न ही प्रार्थना पत्र में सजरा अंकित है। खसरा नं0 1801 व 1809 का नक्शा अक्स पेश नहीं किया है। गांव के गत सिवायचक व हाल सिवायचक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रकबे के अन्तर को वर्णित नहीं किया है। खसरा नं0 1809 रकबा 20 एयर सिवायचक पर कब्जे काश्त बाबत् साक्ष्य पेश नहीं की। इस आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि उचित नहीं है। क्योंकि अदालत मातहत ने अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रिकार्ड पेश किया गया था तथा पटवारी हल्का के मौका रिपोर्ट भी अदालत मातहत की पत्रावली में मौजूद है परन्तु इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह का कोई विवेचन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेज का समुचित परीक्षण करने तथा विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का व तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण करते हुए स्पष्ट अभिमत अंकित करने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 25.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर